



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01022021-224710
CG-DL-W-01022021-224710

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 02] नई दिल्ली, जनवरी 17, —जनवरी 23, 2021, शनिवार/पौष 27— माघ 3, 1942
No. 02] NEW DELHI, JANUARY 17, —JANUARY 23, 2021, SATURDAY/PAUSHA 27—MAGHA 3, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

आ. अ. 5.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 76-चुरहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय-लेखा/16-सीधी/2019/886 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री विवेक कोल, मध्य प्रदेश के 76-चुरहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी जिला, मध्य प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विवेक कोल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.08.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विवेक कोल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विवेक कोल द्वारा 17.10.2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के दिनांक 23.10.2019 के पत्र संख्या 2134/निर्वा/2019 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी द्वारा अपने दिनांक 13.08.2020 के पत्र सं. 312/निर्वा0/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विवेक कोल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विवेक कोल, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 76-चुरहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी, श्री विवेक कोल, निवासी ग्राम बारी, पोस्ट बम्हनी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी, मध्य प्रदेश को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/म.प-वि. स./ 2018 पश्चिम-I]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 5th January, 2021

O.N. 5.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **76-Churhat** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 15.01.2019 submitted by the District Election Officer, Sidhi District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/Four/Elec.Expenditure Account/16-Sidhi /2019/886 dated 19.01.2019, Shri Vivek Kol, Bahujan Samaj Party contesting candidate from 76-Churhat Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Sidhi District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 01.08.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri Vivek Kol for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 01.08.2019, Shri Vivek Kol was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Vivek Kol on 17.10.2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, vide his letter No. 2134/Election/2019 dated 23.10.2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Sidhi vide his letter No. 312/Election/2020 dated 13.08.2020 it has been stated that Shri Vivek Kol has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that Shri Vivek Kol has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Vivek Kol resident of Village Bari, Post Bamhani, Tehsil-Gopad, Banas Distt. Sidhi, Madhya Pradesh, the contesting candidate of Bahujan Samaj Party for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from 76-Churhat Assembly Constituency to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

आ. अ. 6.—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **44-जतारा(अ.जा)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय-लेखा/10-टीकमगढ़/2019/882 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री द्वारका प्रसाद अहिरवार, मध्य प्रदेश के **44-जतारा (अ.जा)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ जिला, मध्य प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री द्वारका प्रसाद अहिरवार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री द्वारका प्रसाद अहिरवार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री द्वारका प्रसाद अहिरवार की पत्नी द्वारा 24.08.2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा उनके पत्र क्रमांक 10क/4/वि.स-2018/निर्वा. व्यय नोटिस/10-टीकमगढ़/15851, दिनांक 12.09.2020 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के दिनांक 31.08.2019 के पत्र संख्या 25/सामा० निर्वा/2019/1566 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा अपने दिनांक 17.07.2020 के पत्र सं. 25/सामा० निर्वा०/व्यय/2020/255 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री द्वारका प्रसाद अहिरवार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री द्वारका प्रसाद अहिरवार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **44-जतारा(अ.जा)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री द्वारिका प्रसाद अहिरवार, निवासी वीरेन्द्र कॉलोनी नौगाँव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/म.प-वि. स./ 2018 पश्चिम-I]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th January, 2021

O.N. 6.—the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 44-Jatara (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 16.01.2019 submitted by the District Election Officer, Tikamgarh District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/10-Tikamgarh /2019/882 dated 19.01.2019, Shri Dwarika Prasad Ahirwar, Bahujan Samaj Party contesting candidate from 44-Jatara (SC) Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Tikamgarh District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 31.07.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Dwarika Prasad Ahirwar for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 31.07.2019, Shri Dwarika Prasad Ahirwar was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by wife of Shri Dwarika Prasad Ahirwar on 24.08.2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, vide his letter No. 25/Gen. Elec./2019/1566 dated 31.08.2019 and the same was forwarded by the office of Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10 A/4/L.A.-2018/Elec. Expenditure Notice/10-Tikamgarh/15851 dated 12.09.2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Tikamgarh vide his letter No. 25/Gen. Elec./2020/255 dated 17.07.2020 it has been stated that Shri Dwarika Prasad Ahirwar has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed alongwith original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that Shri Dwarika Prasad Ahirwar has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Dwarika Prasad Ahirwar resident of Veerendra Colony, Nowgaon Distt. Chhatarpur, Madhya Pradesh, the contesting candidate of Bahujan Samaj Party for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from 44-Jatara (S.C.) Assembly Constituency to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/MP-LA/2018/WS-I.]

By Order,

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.